झारखण्ड शिक्षा परियोजना, हजारीबाग

729
08.07

नया समाहरणालय भवन, Ground Floor (B-002), हजारीबाग – 825301
Email Id - ssa_hazaribagh@rediffmail.com

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर0टी0ई0) के अंतर्गत सत्र 2025–26 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर नामांकन से संबंधित सूचना

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–237 दिनांक–16.02.2016 के अनुपालन में गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर पड़ोस के (क्रमशः 1 कि0मी0, 3 कि0मी0 एवं अंततः 6 कि0मी0 दूरी की सीमा तक) अभिवंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 72,000/– से कम हो) के बच्चों का नामांकन पूर्ण किया जाना है।पूर्व में प्राप्त आवेदनों के आधार पर सभी विद्यालयों की रिक्त सीटें नहीं भर पायीं थी।

उक्त के आलोक में सभी संबंधित विद्यालयों में रिक्त रह गये सीट के विरूद्ध छात्रों के नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

अभिभावकों की सुविधा के लिए सूचित किया जाता है कि **(क)** पास पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए पालक/अभिभावक का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल जिसमें उनका नाम एवं निवास का पता अंकित हो, मान्य होंगे, **(ख)** अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग की मान्यता के लिए पालक/अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, निःशक्त बच्चे के लिए चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं आय के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, **(ग) नर्सरी/एल0के0जी0** में नामांकन हेतु उम्र सीमा न्यूनतम् 3 वर्ष 6 माह से अधिक एवं 4 वर्ष 6 माह से कम तथा **प्रवेश कक्षा 1** में नामांकन हेतु उम्र सीमा 5 वर्ष 6 माह से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होगी **(घ)** उम्र की गणना 31 मार्च 2025 होगी। आवेदन कार्यालय के वेबसाईट **www.rtehazaribag.in** पर ऑनलाईन 09.07.2025 से 22.07.2025 तक भरा जायेगा एवं भरे गये आवेदन पत्र (सभी अनुलग्नक सहित) का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेज को संलग्न करते हुए संबंधित विद्यालय के कार्यालय में दिनांक–24.07.2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

जमा किये गये आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों का संबंधित वेबसाईट से सत्यापन के क्रम में कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की पूरी जवाबदेही संबंधित पालक/अभिभावक की होगी। आवेदन हेतु तालिका के कॉलम 4 में प्रवेश कक्षा/कक्षाओं का नाम अंकित है। कॉलम 05 में प्रवेश कक्षा/कक्षाओं में कुल सीटों की संख्या एवं कॉलम 06 में आर0टी0ई0 नामांकन हेतु 25 प्रतिशत सीटों के आलोक में रिक्त सीट की संख्या अंकित है।

SL.	BLOCK	School Name	Entry Class	Total No. of Seat	No. of Vacant seat Under RTE
1	2	3	4	5	6
1	Barkagaon	DAV PUBLIC SCHOOL URIMARI	LKG	08	08
2	Barkatha	DIVINE PUBLIC SCHOOL GANGPACHO	Class-1	20	20
3	Chauparan	SUREKHA PRA.BHAI PUB.SCHOOL BAHERA	CLASS-1	20	20
4	Hazaribagh	JACK AND JILL SCHOOL, SINGHANI	NURSERY	10	02
5	Hazaribagh	LORD KRISHNA SCHOOL, AMRITNAGAR	Class - 1	10	09
6	Hazaribagh	ST.PAUL'S SCHOOL	Class - 1	10	04
7	Hazaribagh	SARSWATI SISHU MANDIR KUMHAR TOLI	Class-1	10	08
8	Hazaribagh	NATIONAL PUB.SCHOOL	Class - 1	15	13
9	Hazaribagh	ST STEPHENS SCHOOL	Class 1	25	07
10	Hazaribagh	NAMAN VIDYA, HAZARIBAGH	Nursery	07	02
11	Ichak	CAMPION BASIC ACADEMY,ICHAK	Class - 1	20	19
12	Katkamsandi	ST. AUGUSTINE HIGH SCHOOL, KANCHANPUR	Class - 1	10	10
13	Sadar	OASIS SCHOOL, HAZARIBAGH	Nursery	10	10

नोट :–

1. आवेदकों की सुविधा हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना कार्यालय, हजारीबाग के प्रवेश द्वार के सामने हेल्प डेस्क कार्य करेगा, जिसमें फॉर्म भरने एवं संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।

2. इच्छुक अभिभावकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पाल्य के नामांकन हेतु उसी विद्यालय के लिए आवेदन पत्र समर्पित करेंगे, जो उनके पास पड़ोस (क्रमशः 1 कि0मी0, 3 कि0मी0, अंततः 6 कि0मी0 दूरी सीमा तक) में अवस्थित है तथा जहां उनके पाल्य के उम्र अनुरूप प्रवेश कक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

3. कृपया निम्नलिखित विकल्प में से प्रत्येक का कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे :

*** जन्म प्रमाण–पत्र का प्रमाण :**

1. जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र अधिनियम के अंतर्गत जन्म प्रमाण–पत्र।

**** आवास प्रमाण–पत्र का प्रमाण :**

1. बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड।
2. बच्चे का या उसके माता–पिता के निवास का प्रमाण–पत्र।
3. माता–पिता/अभिभावक में से किसी एक का निवास का प्रमाण–पत्र।
4. माता–पिता/अभिभावक में से किसी एक का बिजली बिल/टेलीफोन बिल।
5. आधार कार्ड।
6. माता–पिता/अभिभावक में से किसी एक का जॉब कार्ड।

***** आय प्रमाण–पत्र का प्रमाण :**

1. अंचलाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र।

****** अभिवंचित वर्ग का प्रमाण :**

1. उपायुक्त/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।
2. सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि बच्चा निःशक्त हो।
3. अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
हजारीबाग